मुकदमा नं. 27/13

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	किसी भी फर्जी एवं कूटरचित बेजान दस्तावेज के आधार पर गलत नामान्तरण दर्ज हो जाने से उक्त फर्जी एवं कूटरचनाकार पक्षकार को अंतिम रूप से खातेदारी हक अर्जित नहीं हो जाते हैं क्योंकि एवं फर्जीवाड़ा करके प्राप्त किये अधिकार स्वतः ही विश्वसनीय एवं चरित्र से प्राप्त किये होने से स्वतः खारिज हैं तथा इससे अप्रार्थीगण को सुविधा का संतुलन प्राप्त नहीं होते हैं। ये प्रार्थना पत्र का पद पढ़ा जावे।	
	जवाब प्रार्थना पत्र का पद संख्या 18 गलत होने से अस्वीकार है। इस पद के समर्थन में अप्रार्थीगण साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। सो क्षतिपूर्ति तथ्यों में कोई संभव नहीं है। सो अप्रार्थीगण के भयंकर रूप से अपूरणीय क्षति पहुंची है। ये प्रार्थना पत्र का पद पढ़ा जावे।	
	अतः जवाब उक्त जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मूल प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुतोषानुसार न्यायहित में मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक आदेश फरमावें।	
	हमने उपरोक्त प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण के जवाब एवं प्रार्थीगण के जवाब उत्तर जवाब के तथ्यों पर गहनता से मनन किया एवं दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस तथ्यों पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया।	
	प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण से संबंधित संयुक्त आसामी सहखातेदार के हिस्से में जाने संबंधी विवाद है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करने से के संबंध में निम्नलिखित तीन स्तंभों पर गौर करना आवश्यक है।	

सहायक कलक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

Scanned by CamScanner

खातेदारी के 14 बीघा फौजा द्वारा बेचान करना बतलाकर रकबा अलग नहीं किया जा सकता। संयुक्त आराजी में क्रेता का नाम सहखातेदार के दर्ज किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं कर क्रेता का अलग खातेदारी दर्ज कर दी। जिससे शेष सहखातेदार का हिस्सा 1/3, 1/3 यथावत रहा तथा बाबु s/o किस्तुरा का बिना किसी तरह से अपना हिस्सा विक्रय किये लुप्त कर दिया तथा अप्रार्थीगण ने भी बाबु s/o किस्तुरा का हिस्सा किसी दस्तावेज के जरिए अन्तरण करने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त स्थिति में ख० नं० 309 में खातेदार बैला/भैरा 1/3 व चतरा s/o रूपा 1/3 शेष रहने तथा बाबु s/o किस्तुरा लुहार का फौजा s/o कस्तुरा लुहार द्वारा बेचाननामा में 14 बीघा दर्शाने से उक्त दोनों सहखातेदारी दर्ज करने में दिक्कत आने से जरिये त्रुटि पत्र के 1/3 हिस्से के स्थान पर 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया। इस प्रकार बिना विधि अनुरूप बेचान होने तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने की प्रक्रिया विधि विरुद्ध है, जिसका प्रभाव ~~अप्रार्थी~~ प्रार्थी बाबु s/o किस्तुरा लुहार स्व० जीवनकाल पर आरम्भ से ही शून्य प्रभावी है। इसलिए अपने हिस्से की आराजी प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण ने वाद प्रस्तुत किया।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने जवाब में दि० 2-7-1963 को फौजा s/o किस्तुरा ने अपने हिस्से की 14 बीघा आराजी बेचान कर देने से प्रार्थीगण

Scanned by CamScanner

मुकदमा नं. 27/13 13

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	का हिस्सा नहीं रखा है चाहे प्रार्थीगण अपना हिस्सा बेचान नहीं करना कथन कर रहे है तो मौजा के बेचान करने पर नामान्तकरण स्वीकृत करते समय आपत्ति करते या जानकारी में आने पर सक्षम न्यायालय में अपने हक साबित करने हेतु उक्त बेचाननामा व नामान्तकरण को चुनौती देते। परन्तु ऐसा नहीं किया। वर्तमान में अप्रार्थीगण खातेदार है तथा खातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। हमने हस्तगत प्रकरण में जिस विवाद को लेकर प्रार्थीगण ने वाद प्रस्तुत किया, तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, इसके अनुसार आगे से आगे बेचान हो चुके है। इस प्रकार बेचान हो जाने से पेचदगियां बढेगी। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। **सुविधा का सन्तुलन** उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा प्रार्थीगण वाद में कब्जा काश्त प्रार्थीगण का दर्शाता है तथा अप्रार्थीगण खरीद कब्जा काश्त वाक्या आराजी पर अपना दर्शाते है। इस संबंध में कोई मौके की स्थिति के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं होने से स्पष्ट कब्जे के तथ्य को इस स्टेज पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता किन्तु प्रार्थीगण के बाबु S/o किस्तुरा	सहायक कलक्टर रानीवाड़ा जिला-जालोर

Scanned by CamScanner

से किसी भी प्रकार से बेचान नहीं करने से उनके हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में साबित इस स्टेज पर होता है।

अपूरणीय क्षति

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से का बेचान किये जाने के बिना ही राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी दर्ज किये जाने तथा अप्रार्थीगण द्वारा आगे से आगे बेचान कर दिये गये है। इसी प्रकार वर्तमान स्थिति में भी अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज होने से उनके द्वारा आगे भी बेचान कर सकते है। जिससे विवादग्रस्त आराजी में मुकदमें की बहुलता एवं पेचदगीया बढ़ सकती है। जिससे प्रार्थीगण को ~~कुल~~ अपूरणीय क्षति होने की स्थिति इस स्टेज पर साबित है।

आदेश

उपरोक्त तीन स्तम्भों पर विवेचन करने पर प्रार्थीगण के हक से साबित होने से अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ~~आदेश~~ अप्रार्थीगण के विरुद्ध ~~इस आशय~~ तानसलानाफ़ैसला तक की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा जोडवास के पुराना ख०नं. 309 रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा, जिसके नवीन ख०नं० 657 से 660 एवं पुराने ख०नं० 309 रकबा 14 बीघा के नवीन ख०नं. 661, 662 की आराजी का किसी भी प्रकार से बेचान, अन्तरण, दान, बख्शीश

उपखण्ड कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

Scanned by CamScanner

मुकदमा नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिश्यिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	रहन आदि नहीं करें तथा अप्रार्थी सं. 10 उक्त आराजी के किसी भी प्रकार से अन्तरण का दस्तावेज पंजीयन हेतु पेश करने पर पंजीयन करें तथा अप्रार्थी सं. 9 राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। पक्षकारान अपना अपना वहन करें। उक्त आदेश की पालना हेतु प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा व उप पंजीयक रानीवाड़ा को भेजी जावे। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर में जमा हो। (हस्ताक्षर) (हनुमानसिंह राठौड़) सहायक कलक्टर रानीवाड़ा जिला–जालोर	

Scanned by CamScanner